संचालनालय, गैस राहत एवं पुनर्वास, 1 शिवाजी नगर,भोपाल

दूरभाष– 07552441026– 07552731261

WWW.bgtrrd.mp.gov.in

क्रमांक:एफ 17/सं.नि./2022/ 2912 भोपाल,दिनांक 14/10/2022

चिकित्सा अधिकारियों के बैकलॉग पदों पर संविदा नियुक्ति
आवेदन की अंतिम तिथि 31.10.2022

मध्यप्रदेश शासन,भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग के अंतर्गत संचालित चिकित्सा इकाईयों में चिकित्सा अधिकारियों(एम.बी.बी.एस.) के बैकलॉग (अनुसूचित जनजाति वर्ग) के रिक्त पदो पर संविदा आधार पर नियुक्ति की जाने हेतु इच्छुक उम्मीदवारों से निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है।

आवेदन पत्र संचालक,कमला नेहरू चिकित्सालय,गैस राहत,हमीदिया अस्पताल परिसर, भोपाल 462001 से विज्ञप्ति प्रकाशन की दिनांक से दिनांक 31.10.2022 दिन सोमवार तक किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 11:00 बजे से दोपहर 3:00 बजे तक रू. 250/– (रू. दो सौ पचास मात्र) का बैंक ड्राफट जो कि **संचालक,गैस राहत एवं पुनर्वास, भोपाल (Director,Gas Relief and Rehabilitation,Bhopal)** के नाम से देय हो, जमा कर प्राप्त कर किये जा सकते है।

भरे हुए आवेदन पत्र मय प्रमाण पत्रों की स्वयं सत्यापित प्रतियों के साथ समक्ष में या पंजीकृत डाक द्वारा दिनांक 31.10.2022 दिन सोमवार सायं 5:00 बजे तक संचालक,कमला नेहरू चिकित्सालय,गैस राहत,हमीदिया अस्पताल परिसर, भोपाल 462001 में जमा किए जा सकते है। डाक के माध्यम से प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र भी निर्धारित दिनांक एवं निर्धारित समय तक प्राप्त होना अनिवार्य है। किसी भी डाक विलम्ब के लिए यह कार्यालय जिम्मेदार नही होगा। निर्धारित तिथि व समय के पश्चात् प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा।यह विज्ञापन विभागीय वेबसाईट **WWW.bgtrrd.mp.gov.in** पर भी देखा जा सकता है।

(1) रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार हैं (जिनमें कमी या वृद्धि हो सकती है) :–

पदनाम	संविदा वेतन	न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता	वर्गवार रिक्त पदों की संख्या
			अनुसूचित जन जाति वर्ग
चिकित्सा अधिकारी (एम.बी.बी.एस.)	रू 50,070/– प्रतिमाह	भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त एम.बी.बी.एस. की उपाधि एवं मध्यप्रदेश राज्य चिकित्सा परिषद में पंजीयन ।	12

(2) आयुः–संविदा नियुक्ति के लिए उस वर्ष की जनवरी के प्रथम दिन को जिसमे नियुक्ति की जाना है ,न्यूनतम और अधिकतम आयु–सीमा 21 वर्ष और 65 वर्ष होगी।

(3) सेवा निवृत्त शासकीय सेवक की नियुक्ति–सेवा निवृत्त चिकित्सक यदि आयु तथा अन्य अर्हता रखते हैं तो वे भी संविदा नियुक्ति के लिए हकदार होगें।

(4) निरर्हता–कोई भी अभ्यर्थी संविदात्मक नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा,यदि उसकी दो से अधिक संतानें हैं,जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी,2001 को या उसके पश्चात् हुआ था।

(5) संविदा नियुक्ति की कालावधि एवं पदस्थापना– संविदा चिकित्सा अधिकारी की संविदा की कालावधि नियुक्ति दिनांक से अधिकतम दो वर्ष होगी।

(6) चयन हेतु मेरिट तैयार करने के मापदंड:– (1) स्नातक उपाधि (प्राप्त अंकों का भारांश अनुपात में) 65 अंक, (2) स्नातकोत्तर के लिए 10 अंक, डिप्लोमा के लिए 05 अंक (प्रत्येक प्रयत्न हेतु ऋणात्मक.2 अंक डिग्री एवं 01 अंक डिप्लोमा),(3) एन.सी.सी.का 'सी' प्रमाण पत्र अथवा एन.एस.एस.का प्रमाण पत्र 05 अंक, (4) पुरूष खिलाड़ी/महिला खिलाड़ी जिसने विश्वविद्यालय स्तर पर प्रतिनिधित्व किया हो 05 अंक, (5) किसी चिकित्सा संस्था में चिकित्सक के रूप में अनुभव (अधिकतम 05 अंको के अध्ययाधीन रहते हुए प्रत्येक वर्ष के लिए एक अंक) 05 अंक एवं (6)साक्षात्कार 10 अंक ।

(7) पात्र अभ्यर्थियों को साक्षात्कार की सूचना उनके द्वारा आवेदन पत्र में दिए गए पत्र व्यवहार के पते पर दी जाएगी तथा साक्षात्कार पश्चात् उपरोक्त मापदण्ड अनुसार प्राप्तांकों की अंतरिम मेरिट सूची का प्रकाशन विभागीय वेबसाईट **WWW.bgtrrd.mp.gov.in** पर किया जाकर निर्धारित समय सीमा में दावा/आपत्तियॉ प्राप्त की जाकर दावा/आपत्तियों के निराकरण पश्चात् अंतिम मेरिट सूची, चयनित सूची, व प्रतिक्षा सूची उक्त विभागीय वेबसाईट पर जारी की जाएगी। जिसकी जानकारी के लिए अभ्यर्थी नियमित रूप से उक्त वेबसाईट का अवलोकन करते रहें।

नियुक्ति की अन्य शर्ते निम्नानुसार रहेगीः–.

1. चयनित अभ्यर्थी,नियुक्ति आदेश प्राप्त होने के तत्काल पश्चात नियुक्ति प्राधिकारी के साथ 50 रूपए के नॉन ज्यूडीशियल स्टाम्प करार निष्पादित करेगा। करार के निष्पादन पर होने वाले व्यय,चयनित अभ्यर्थी द्वारा वहन किए जाएगें.चयनित अभ्यर्थी उसकी पदस्थापना के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से संविदा सेवा में माना जाएगा।

2. चयनित अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य होगा कि वह नियुक्ति आदेश जारी होने के भीतर संविदा नियुक्ति के स्थान पर 15 दिवस में अपना कार्यभार ग्रहण करें। उक्त काल अवधि में कार्यभार न ग्रहण करने की दशा में संविदा नियुक्ति स्वतः रदद् हो जाएगी।

3. संविदा चिकित्सा अधिकारी का चरित्र सत्यापन,शासकीय सेवकों को लागू नियमों या अनुदेशों के आधार पर किया जाएगा। चरित्र के संबंध में किसी प्रतिकूल निष्कर्ष की दशा में नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा संविदा नियुक्ति बिना कोई कारण तुरन्त रदद् कर दी जाएगी।

4. प्रथम मास के लिए संविदा राशि प्राप्त करने के पूर्व, संविदा अधिकारी स्वयं अपने खर्चे पर जिला चिकित्सा बोर्ड द्वारा किया जाने वाला चिकित्सीय परीक्षण करवाएगा। इस चिकित्सीय परीक्षण में उपयुक्त पाए जाने पर ही संविदा नियुक्ति वैध होगी, तत्पश्चात हीं प्रथम वेतन आहरण किया जाएगा। सेवा निवृत्त शासकीय सेवक को भी, यदि वे संविदा अधिकारी के रूप में नियुक्त किए जाएं,ऐसा चिकित्सीय परीक्षण करवाना आवश्यक होगा।

5. संविदा चिकित्सा अधिकारी पद हेतु साक्षात्कार से पूर्व अभ्यर्थी के मूल दस्तावेजों का सत्यापन आवेदन में संलग्न दस्तावेजों के साथ किया जाएगा। सत्यापन के समय यदि कोई भी दस्तावेज पूर्ण/सही नहीं पाया जाता है तो उसका साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा।

6. नियुक्ति पश्चात् किसी भी समय यदि कोई भी अभिलेख असत्य या छिपाए हुए पाए जाते हैं तो संबंधित की संविदा नियुक्ति तत्काल समाप्त की जाएगी व संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी।

7. संविदा चिकित्सा अधिकारी शासकीय सेवा में नियमितिकरण के लिए हकदार नहीं होगें और न ही भविष्य में इस नियुक्ति के आधार पर किसी प्रकार के नियमितिकरण का दावा कर सकेगें।

8. संविदा नियुक्ति, किसी भी एक पक्ष द्वारा और किसी भी समय पर एक माह का सूचना या एक माह की संविदा राशि का भुगतान करके संविदा नियुक्ति समाप्त की जा सकती है।

9. संविदा चिकित्सा अधिकारी बिना किसी विशिष्ट कारण के बिना किसी सूचना के अपने कर्तव्य से एक माह से अधिक के लिए अनुपस्थित रहता है तो उसकी संविदा नियुक्ति ऐसी अनुपस्थिति की तारीख से स्वतः समाप्त हुई मानी जाएगी।

10. संविदा चिकित्सा अधिकारी एक कैलेन्डर वर्ष में अधिकतम 15 दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। वह एक समय में अधिकतम 3 दिनों के आकस्मिक अवकाश का उपभोग कर सकेगा/सकेगी। महिला संविदा कर्मचारी,जिसकी दो से कम जीवित संतान हों अधिकतम 180 दिनों की कालावधि के लिए प्रसूति अवकाश की हकदार होगी। उपरोक्त अवकाश स्वीकृत करने की शक्तियाँ संबंधित इकाई प्रमुख में निहित होगीं।

11. संविदा चिकित्सा अधिकारी उसकी संविदात्मक कालावधि के लिए किन्हीं पेन्शन संबंधी प्रसुविधाओं का हकदार नहीं होगा। उसे ऐसी कालावधि के लिए कोई बोनस आदि भी देय नहीं होगा।

12. अन्य सेवा संबंधी शर्ते ऐसी होगी, जैसी नियुक्ति आदेश में विर्निदिष्ट की जाऐं।

13. इसके अतिरिक्त संचालनालय,गैस राहत एवं पुनर्वास द्वारा आवश्यक सेवा शर्तो का समावेश नियुक्ति के समय किया जा सकता है।

14. संविदा चिकित्सा अधिकारी को चिकित्सालय की आवश्यकता अनुसार एवं निर्धारित टाइम टेबिल अनुसार डयूटी चिकित्सालय में देनी होगी। डयूटी प्रातः 8 से 2 बजे तक दोपहर 2 से 8 बजे अथवा रात्रि 8 से अगले दिन प्रातः 8 बजे तक की होगी। अवकाश दिवस में डयूटी एवं रात्रिकालीन डयूटी का आफ संचालनालय,लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के नियमानुसार दिया जावेगा।

15. संविदा चिकित्सा अधिकारी भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग द्वारा राजपत्र में प्रकाशित संविदा नियम–2003 में निहित व समय–समय पर शासन द्वारा संशोधित किए गए अन्य प्रावधानों के भी अधीन होगा।

16. यह नियुक्ति विशिष्ट चिकित्सा इकाई के लिए होगी व स्थानांतरण की पात्रता नहीं होगी।

संचालक

भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास,भोपाल